न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 48/18
निर्णय दिनांकः 31.05.2018

1. नन्दाराम दत्तक पुत्र छीतरमल जाति जाट नि0 अगरपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खाता सं0 124 की आराजी खं0नं0 2152 रकबा 18 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तह0 फुलेरा में स्थित है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा है तथा खाता सं0 126 की आराजी खं0नं0 2150 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 2151 रकबा 16 विस्वा, खं0नं0 2165 रकबा 7 विस्वा किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाकै अगरपुरा तह0 फुलेरा में वादी का 1/6 हिस्सा है खाता सं0 102 के खं0नं0 2159 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा वाकै अगरपुरा तह0 फुलेरा में वादी का 2/9 हिस्सा है, खाता सं0 78 के खं0नं0 2156/1 रकबा 35 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा में वादी का 1/12 हिस्सा है तथा खाता सं0 92 के खं0नं0 4/2 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 5 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 6 रकबा 17 विस्वा, खं0नं0 11/1 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 11/6 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 12 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 13/2 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम डाकनियावास प0ह0 बोबास भू0अ0नि0क्षे0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादी खातेदार काश्तकार है ओर अपने हिस्सें की भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी स्व0 लादू का वंशज है। सिजरा के अनुसार भैरू व छीतरमल, महादेव तीनो भाई थे तथा छीतर नाऔलाद था जिसने भैरू के बेटे नन्दाराम(वादी) के गोद ले लिया था जिसके कारण नन्दाराम वादी स्व0 छीतरमल के पास ही रहने लग गया था। सेवा सुश्राषा वादी द्वारा ही छीतर की की गई थी। स्व0 छीतर ने अपने जीवनकाल में अपनी अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति/कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत वादी को दी थी। जिसके अनुसार वादी उपरोक्त आराजीयात को

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

उपयोग उपभोग करता रहा है और छीतरमल के पास में ही गोद पुत्र के रूप में रहता रहा। जिसके कारण वादी के समस्त राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरलिस्ट, पहचान पत्र, नगरपालिका जोबनेर में गृहकर पंजिका व नामान्तकरण, स्वामित्व सबूत में भी वादी के पिता का नाम छीतरमल ही दर्ज किया हुआ है परन्तु उपरोक्त आराजीयात का जब नामान्तकरण वादी के नाम खोला गया तब वादी के नाम के आगे दत्तक पिता छीतर की जगह प्राकृतिक पिता मैरू का नाम सहवन से अंकित कर दिया गया जबकि वादी मृतक छीतर के गोद गया हुआ था इसलिए पिता के रूप में वादी के आगे छीतर अंकित होना चाहिए था। वादी की उपरोक्त आराजीयात में वादी के पिता के रूप में सहवन से मैरू गलत अंकित किया हुआ है जबकि मैरू वादी का प्राकृतिक पिता है इसलिए उपरोक्त आराजीयात में वादी का नाम नन्दाराम पुत्र मैरू अंकित किया हुआ है उसकी जगह नन्दाराम पुत्र छीतरमल अंकित होना चाहिए। वादी के समस्त रिकोर्ड में उसके दत्तक पिता छीतरमल का नाम ही अंकित किया हुआ है। छीतरमल पुत्र लादू की मृत्यु होने पर वादी जो कि छीतरमल का दत्तक पुत्र है जिसके पगड़ी का दस्तूर हुआ था तथा क्रियाकर्म इत्यादि भी वादी द्वारा ही सम्पति किये गये थे वादी को ही छीतरमल का दत्तक पुत्र समाज व गांव में व सभी प्रकार के रिकोर्ड के अनुसार माना जाता रहा है किन्तु उपरोक्त आराजीयात में सहवन से मैरू का नाम अंकित हो गया है जिसको दुरूस्ती करवानें के लिए वादी ने पटवारी हल्का व तहसीलदार महोदय को कई बार निवेदन किया जिनके द्वारा वादी को आश्वासन दिया जाता रहा है अन्तिम बार जब वादी ने दिनांक 19.04.18 को तहसीलदार महोदय को उपरोक्त दुरूस्ती खातेदारी में करने को कहा तो उन्होनें न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिए यह वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती मान्य न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प डेहरा में पेश हुयी। वकील वादी व राज पेरोकार उपस्थित है तहसीलदार फुलेरा ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073, नकल नामान्तकरण वसीयत दिनांक 11.03.98, नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074, वसीयम सब रजिस्टार सांमर दिनांक 11.03.98, नगरपालिका मण्डल जोबनेर आदेश दिनांक 24.04.18, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड पेश की है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
सांमर लेक

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 124 की आराजी खं0नं0 2152 रकबा 18 बीघा 2 विस्वा तथा खाता सं0 126 की आराजी खं0नं0 2150 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 2151 रकबा 16 विस्वा, खं0नं0 2165 रकबा 7 विस्वा किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 6 विस्वा तथा खाता सं0 102 के खं0नं0 2159 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा तथा खाता सं0 78 के खं0नं0 2156/1 रकबा 35 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 तथा खाता सं0 92 के खं0नं0 4/2 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 5 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 6 रकबा 17 विस्वा, खं0नं0 11/1 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 11/6 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 12 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 13/2 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम डाकनियावास प0ह0 बोबास भू0अ0नि0क्षे0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज नन्दाराम पुत्र भैरू के स्थान पर नन्दाराम पुत्र भैरू दत्तक पुत्र छीतरमल दुरूस्त कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प डेहरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रमुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

नन्दाराम बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 48/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हनुमान जाखड़ व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 124 की आराजी खं0नं0 2152 रकबा 18 बीघा 2 विस्वा तथा खाता सं0 126 की आराजी खं0नं0 2150 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 2151 रकबा 16 विस्वा, खं0नं0 2165 रकबा 7 विस्वा किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 6 विस्वा तथा खाता सं0 102 के खं0नं0 2159 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा तथा खाता सं0 78 के खं0नं0 2156/1 रकबा 35 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम अगरपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 तथा खाता सं0 92 के खं0नं0 4/2 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 5 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 6 रकबा 17 विस्वा, खं0नं0 11/1 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 11/6 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 12 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 13/2 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम डाकनियावास प0ह0 बोबास भू0अ0नि0क्षे0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज नन्दाराम पुत्र भैरू के स्थान पर नन्दाराम पुत्र भैरू दत्तक पुत्र छीतरमल दुरूस्त कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है.....निज . ..... मुबलिग..... बाबत्..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner